न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 223/2019

फुलोर्टन इंडिया होम फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिये प्राधिकृत अधिकारी, पंजिकृत कार्यालय –मेघ टॉवर तृतीय तल, पुराना नम्बर 307, नया नम्बर 165, पूनामल्ली हाई रोड, मधुरावोयल, चेन्नई–60095 तमिलनाडू, कॉरपोरेट कार्यालय छठा तल, बी विंग, सुप्रीम आई टी पार्क, सुप्रीम सिटी, पवई, मुम्बई–400076, क्षेत्रीय कार्यालय केसर मॉल, प्रथम तल, प्लॉट नं.115–ए, अपैक्स मॉल के सामने, टोंक रोड, जयपुर।

.....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री रणजीत गुर्जर पुत्र श्री मेवा राम गुर्जर,
पताः– 212, गुर्जरों का बास, ग्राम टोकडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर 305801 एवं पट्टा नम्बर 4 खसरा नं0 234, ग्राम टोकडा, ग्राम पंचायत खातौली, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर 305801

(2) श्रीमती गीता देवी पत्नी रणजीत गुर्जर,
पताः– 212, गुर्जरों का बास, ग्राम टोकडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर 305801 एवं पट्टा नम्बर 4 खसरा नं0 234, ग्राम टोकडा, ग्राम पंचायत खातौली, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर 305801

.....अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री मनोज कुमार शर्मा अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 30.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्री रणजीत गुर्जर पुत्र श्री मेवा राम गुर्जर व श्रीमती गीता देवी पत्नी रणजीत गुर्जर, निवासीः– 212, गुर्जरों का बास, ग्राम टोकडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर 305801 एवं पट्टा नम्बर 4 खसरा नं0 234, ग्राम टोकडा, ग्राम पंचायत खातौली, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर 305801 को दिनांक 11.04.2017 को रू 10,23,351/–(अक्षरे दस लाख तेईस हजार तीन सौ इकयावन रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम टोकडा, ग्राम पंचायत खातौली तहसील किशनगढ, जिला अजमेर (राज0) के खसरा नं0 234 स्थित आवासीय सम्पति जिसका पट्टा नं0 04 रणजीत गुर्जर के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.07.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 13.08.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–1,75,725.38/–(अक्षरे एक लाख पिचत्तर हजार सात सौ पच्चीस एवं अडतीस पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहसं पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति ग्राम टोकडा, ग्राम पंचायत खातौली तहसील किशनगढ, जिला अजमेर (राज0) के खसरा नं0 234 स्थित आवासीय सम्पति जिसका पट्टा नं0 04 रणजीत गुर्जर के नाम से है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 30.12.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner